न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या– 26/2025

सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम, जाति जाट निवासी चक 4 एम0 एल,
निमावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर **– – प्रार्थीया**

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।
– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– प्रार्थीया
श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: आदेश ::–

दिनांक :–26.05.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के नाम चक 24 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 116/21 में दर्ज कुल 1.050 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि एवं संयुक्त खाता संख्या 60/40 में दर्ज कुल 8.906 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 523/8906 हिस्सा कृषि भूमि, संयुक्त खाता संख्या 115/104 में दर्ज कुल 5.397 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 594/1799 हिस्सा कृषि भूमि, संयुक्त खाता संख्या 40/60 में दर्ज कुल 3.162 हैक्टेयर में से 316/1581 हिस्सा तथा पृथक खाता संख्या 117/104 में कुल 0.0250 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया का नाम उक्त कृषि भूमि में सरस्वती पत्नी बलवन्तराम के रूप में दर्ज है जबकि प्रार्थीया का असल प्रचलित दस्तावेजी नाम सरस्वती न होकर सरबती देवी है। उक्त खाता संख्या में से संयुक्त खाता संख्या 40/60 में दर्ज कुल 3.162 हैक्टेयर में से 316/1581 हिस्सा की कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम तो सरबती देवी अंकित है परन्तु पुत्र बलवंतराम एवं जाति कुम्हार गलत रुप से अंकित की गई है, जो कि सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम, जाति जाट है। प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान जमाबंदी समवत् 2076 उपरोक्त वर्णित खातों तथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सलंग्न आवेदन पत्र है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजो में सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम, जाति जाट ही अंकित है परन्तु प्रार्थीया के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सरस्वती पत्नी बलवन्तराम एवं खाता संख्या 40/60 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सरबतीदेवी पुत्र बलवन्तराम, जाति कुम्हार अंकित दर्ज है, जो संशोधित किया जाना अतिआवश्यक है जिस हेतु प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त अनवानी आवेदन पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया के नाम दर्ज चक 24 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 116/21, संयुक्त खाता संख्या 60/40, संयुक्त खाता संख्या 115/104 तथा पृथक खाता संख्या 117/104 में प्रार्थीया का नाम सरस्वती पत्नी बलवन्तराम दर्ज होने एवं संयुक्त खाता संख्या 40/60 में सरबती देवी पुत्र बलवंतराम, जाति कुम्हार अंकित होने व प्रार्थीया के समस्त अन्य दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम व जाति जाट अंकित होने के कारण प्रार्थीया को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा भविष्य में भी अनेको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उक्त भूल एक सद्भाविक भूल है जिसे संशोधित किया जाना अतिआवश्यक है। उक्त सुधार से किसी अन्य के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा बल्कि प्रार्थीया को जो परेशानियों का सामना करना पड रहा है उससे निजात प्राप्त होगी। इसलिए प्रार्थीया उक्त आवेदन पत्र बाबत चक 24 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 116/21, संयुक्त खाता संख्या 60/40, संयुक्त खाता संख्या 115/104 तथा पृथक खाता संख्या 117/104 में प्रार्थीया का नाम संशोधित कर सरस्वती पत्नी बलवन्तराम के स्थान पर सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम तथा संयुक्त खाता संख्या 40/60 में दर्ज कुल 3.162 हैक्टेयर में से 316/1581 हिस्सा की कृषि भूमि की जमाबंदी में सरबतीदेवी पुत्र बलवंतराम, जाति कुम्हार से संशोधित कर सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम, जाति जाट अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया द्वारा उक्त संशोधन हेतू तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया तो वह ऐसा करने में असक्षम होने का कह कर साफ इंकार हो गये, यही हेतुक प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त है। आवेदन पत्र चक 24 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित कृषि भूमि में प्रार्थीया के नाम के संशोधन का है, जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम चक 24 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 116/21 में दर्ज कुल 1.050 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि एवं संयुक्त खाता संख्या 60/40 में दर्ज कुल 8.906 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 523/8906 हिस्सा कृषि भूमि, संयुक्त खाता संख्या 115/104 में दर्ज कुल 5.397 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 594/1799 हिस्सा कृषि भूमि तथा पृथक खाता संख्या 117/104 में कुल 0.0250 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरस्वती पत्नी बलवन्तराम के रूप में दर्ज है को संशोधित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम तथा संयुक्त खाता संख्या 40/60 में दर्ज कुल 3.162 हैक्टेयर में से 316/1581 हिस्सा की कृषि भूमि की जमाबंदी में सरबती देवी पुत्र बलवंत राम जाति कुम्हार से संशोधित कर सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम, जाति जाट के रूप में दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें अंकित तथ्यानुसार विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 24 एमएल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 60 में सरस्वती पत्नी बलवन्तराम 0.523 हैक्. जाति जाट सा.4 एमएल खातेदार शेष खाता बदस्तूर दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा यह कृषि भूमि जरिये बैयनामा नामा० संख्या 369 सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम जाति जाट सा० 4 एमएल खातेदार प्राप्त हुई। नवीन जमाबन्दी बनते समय सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम से सरस्वति पत्नी बलवन्तराम हो गया। चक 24 एमएल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 115 सरस्वती पत्नी बलवन्तराम 1.782 हैक्. जाति जाट सा० 4 एमएल खातेदार शेष खाता बदस्तूर है। इस खातेदार पर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर का मु.नं. 50 के कि.नं. 1 पर स्थगन का नोट सं० 2 मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन नोट अंकित है। प्रार्थीया को यह कृषि भूमि नामान्तकरण संख्या 368, 370, 379 जरिये बैयनामा सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम जाति जाट सा० 4 एमएल खातेदार प्राप्त हुई। परन्तु नामा०संख्या 423 विनिमय व 425 सहमति विभाजन ने प्रार्थीया का नाम सरस्वती देवी पत्नी बलवन्तराम दर्ज हो गया। चक 24 एमएल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 116 सरस्वती पत्नी बलवन्तराम 0.253 हैक्. जाति जाट सा० 4 एमएल खातेदार शेष खाता बदस्तुर राजस्व दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 117 सरस्वती पत्नी बलवन्तराम 0.025 हैक्. जाति जाट सा० देह खातेदार एवं खाता संख्या 168 सरस्वती पत्नी बलवन्तराम 0.127 हैक्. जाति जाट सा० 4 एमएल खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खाता संख्या 116 व 168 की कृषि भूमि में जरिये नामा० संख्या 423 तबादला में प्रार्थीया का नाम सरवती देवी पत्नी बलवन्तराम से सरस्वती पत्नी बलवन्तराम हो गया एवं खाता संख्या 117 में वर्णित कृषि भूमि जरिये नामा०संख्या 426, 425 सहमति विभाजन में प्रार्थीया का नाम सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम से सरस्वती पत्नी बलवन्तराम हो गया। चक 24 एमएल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 40 में सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम 0.632 हैक्. जाति कुम्हार सा. 4 एमएल खातेदार शेष खाता बदस्तूर राजस्व रिकार्ड दर्ज है। इस खाते में वर्णित भूमि जरिये बैयनामा नामा०संख्या 780 में ऑटो म्यूटेशन से प्राप्त हुई है। जबकि बैयनामा दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम जाति जाट सा.4 एमएल निमावाली ही दर्ज हो गया। पटवारी हलका द्वारा चक 24 एमएल खाता संख्या 60, 40, 115, 116, 117, 150 168 में दस्तावेजो के आधार पर व प्रार्थीया के खेत पड़ौसियों से पूछताछ करने पर सरस्वती देवी पत्नी बलवन्तराम और सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम एक ही व्यक्ति के नाम है। श्रीमान जी से निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार शुद्धि की जानी प्रस्तावित है।

वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एवम् दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 116 / 21, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 117 / 104, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 105 / 104, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 115 / 104, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 60 / 40, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 24 एमएल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.क्षे. नेतेवाला खाता संख्या 40 / 60 की प्रति पेश की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थीया सरबती देवी द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की प्रति, निर्वाचन पहचान पत्र की फोटो प्रति, पेन कार्ड की प्रति पेश की गई। प्रार्थीया की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में स्वीकार किया जाकर चक 24 एम0एल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 116 / 21 में दर्ज कुल 1.050 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1 / 3 हिस्सा कृषि भूमि एवं संयुक्त खाता संख्या 60 / 40 में दर्ज कुल 8.906 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 523 / 8906 हिस्सा कृषि भूमि, संयुक्त खाता संख्या 115 / 104 में दर्ज कुल 5.397 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 594 / 1799 हिस्सा कृषि भूमि तथा पृथक खाता संख्या 117 / 104 में कुल 0.0250 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरस्वती पत्नी बलवन्तराम के रूप में दर्ज है को दुरुस्त कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरबतीदेवी पत्नी बलवन्तराम दर्ज किया जावे तथा संयुक्त खाता संख्या 40 / 60 में दर्ज कुल 3.162 हैक्टेयर में से 316 / 1581 हिस्सा की कृषि भूमि की जमाबंदी में सरबती देवी पुत्र बलवंत राम जाति कुम्हार को दुरुस्त कर सरबती देवी पत्नी बलवन्तराम, जाति जाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner